राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302013

क्रमांक प.1(ग) का /एस.एम.ई. –3/डी.एल.बी/20 /131 दिनांक 02/06/2021

परिपत्र

विषय :– नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (1) कार्मिक/क–2/आंप्र./91 पार्ट दिनांक 11.06.2018 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के अनुसार किसी भी पद/संवर्ग में नियमित डीपीसी आयोजित करने से पूर्व वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु सक्षम स्तर की पूर्वानुमति आवश्यक है।

पूर्व में विभाग द्वारा चालू डीपीसी वर्ष की 01 अप्रेल को 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां (जिसमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित नहीं हो) उपलब्ध होने की स्थिति में ही वांछित अनुभव मे एक तिहाई अवधि का शिथिलन प्रदान किया जा रहा था। पदोन्नति किये जाने के समय किसी संवर्ग में वर्षभर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों (सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/अन्य कारण) को शामिल करते हुए कुल रिक्तियों की गणना की जाती है। कार्यालय आवश्यकता के मध्येनजर किसी संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने के उद्देश्य से भी ऐसी रिक्तियों की संख्या को सम्मिलित किया जाना उचित है।

अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अनुभव में शिथिलन हेतु उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जावे जिनमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए 50 प्रतिशत या उससे अधिक रिक्तियां उपलब्ध हो एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि के शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई या अधिक कार्मिक कार्यरत रहे।

समस्त नगरीय निकायों के प्रभारी अधिकारियों/नियुक्ति अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव को डीपीसी से सम्बन्धित

पत्रावली पर मय सम्बन्धित वर्ष की वरिष्ठता सूची निम्नांकित तालिकानुसार भिजवायें ताकि विभाग द्वारा लोकहित में अनुभव में छूट के प्रकरणों पर विचार किया जा सके :-

पदनाम	कुल स्वीकृत पद	चालू डीपीसी वर्ष की एक अप्रैल को कार्यरत कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्त पद	चालू डीपीसी वर्ष में अनुभव में छूट के बिना पदोन्नत होने वाले कार्मिको की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष मे एक तिहाई अवधि की छूट पश्चात् सम्भावित पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	निम्न पद	
						स्वीकृत कॉडर स्ट्रेन्थ	शिथिलन उपरान्त कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7	8

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक प.1(ग) का /एस.एम.ई. -3/डी.एल.बी/20 /132-345 **दिनांक** 02/06/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महो.,स्वा.शा.विभाग राज.जयपुर।

2 समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका,राजस्थान।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक